111/13471/2014
15-4-2014

S.O.(IS-VII)-15/4

स्पीड पोस्ट
आर टी आई मामला

फा. सं. 11045/6/2014-वी टी वी
भारत सरकार
गृह मंत्रालय
(आई एस-।। प्रभाग : वी टी वी अनुभाग)

द्वितीय तल, एन डी सी सी-।। भवन, जयसिंह मार्ग,
नई दिल्ली – 110001, दिनांक : 15.04.2014

US(IS-VII) 15/4/14
S.O.(IS-VII) 15/4/2014

सेवा में,

श्री मनोज गौतम
मार्फत सतीश गुप्ता, 107/325 प्रेम विहार
आइसक्रीम वाली गली, माधव पुरम
दिल्ली रोड, मेरठ
उत्तर प्रदेश

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना।

महोदय,

यह, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत 1984 के सिख दंगो के पीड़ितों को वित्तीय सहायता/मुआवजे के संबंध में इस मंत्रालय के दिनांक 12 मार्च, 2014 के पत्र सं. 17014/35/2013/आई एस-VII द्वारा अधोहस्ताक्षरी को अग्रेषित आपके दिनांक 23.02.2014 के आवेदन के संदर्भ में हैं।

2. उपर्युक्त सूचना के संबंध में, आई एस-।। प्रभाग, गृह मंत्रालय का वी टी वी अनुभाग आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के केवल असैनिक पीड़ितों/असैनिक पीड़ितों के परिवारों को उपलब्ध कराई जा रही वित्तीय सहायता संबंधी सूचना विषयक आवेदन के बिंदु सं. 6 तथा 7 से ही संबंधित है।

3. इस संबंध में, यह कहना है कि भारत सरकार, आतंकवाद/सांप्रदायिक/नक्सली हिंसा के असैनिक पीड़ितों के परिवारों को सहारा देने और रख-रखाव के लिए "आतंकवाद/सांप्रदायिकता/नक्सली हिंसा के असैनिक पीड़ितों को केन्द्रीय सहायता" नामक योजना चला रही है। यह योजना 01.04.2008 से आतंकवाद तथा सांप्रदायिक हिंसा के संबंध में तथा दिनांक 22.6.2009 से नक्सली हिंसा के मामलों के संबंध में लागू है। इस योजना के तहत असैनिक पीड़ित/पीड़ित के उत्तराधिकारी को पीड़ित की मृत्यु या 50% या अधिक अक्षमता/विकलांगता के मामले में 03 लाख रूपए की राशि प्रदान की जाती है बशर्ते कि राज्य सरकार द्वारा परिवार के किसी भी सदस्य को कोई रोजगार उपलब्ध न कराया गया हो।

4. आतंकवाद/सांप्रदायिकता/नक्सली हिंसा के असैनिक पीड़ितो की सहायता के लिए केन्द्रीय योजना" पर इस मंत्रालय द्वारा दिनांक 29.06.2012 के पत्र द्वारा जारी संशाधित दिशा-निर्देशों के अनुसार आतंकवादी हिंसा पीड़ित/पीड़ित के उत्तराधिकारी को सहायता राशि का भुगतान जिला मैजिस्ट्रेट/उपायुक्त

द्वारा किया जाएगा तथा तदुपरांत राज्य सरकार, गृह मंत्रालय के समक्ष उसकी प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेगी।

5. तथापि आतंकवादी तथा साम्प्रदायिक हिंसा के पीड़ितों के संबंध में दिनांक 01.04.2008 तथा नक्सली हिंसा के मामलों में 22.06.2009 से पूर्व की अवधि में दी जाने वाली वित्तीय सहायता/मुआवजे से संबंधित सूचना हमारे पास नही है।

6. इस विषय में अपील प्राधिकारी श्रीमती वीना प्रसाद, संयुक्त सचिव (सुरक्षा), गृह मंत्रालय, प्रथम तल, एन डी सी सी-II भवन, जयसिंह मार्ग, नई दिल्ली – 110001 हैं।

भवदीय,

(आशीष वी गवई)
अवर सचिव, भारत सरकार तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष सं. 011-23438070
ई मेल : av.gawai@nic.in

प्रतिलिपि अग्रेषित:-

1. श्री राजेश कुमार गुप्ता, निदेशक (आई एस-III) तथा केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, गृह मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 12 मार्च, 2014 के पत्र सं. 17014/35/2013/आई एस-VII के संदर्भ में।

जनसूचना अधिकारी
केन्द्रीय गृह मंत्रालय
नई दिल्ली

गृह मंत्रालय
Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
27 FEB 2014
के.र.सं. 2021
C.R. No.

दिनांक 23.02.14

महोदय,

जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत निम्न एंव पूर्ण जानकारियाँ निर्धारित समय सीमा में देने का कष्ट करे :—

(1) 80 के दसक में पंजाब में आतंक फैलने के क्या कारण थे जानकारी देने का कष्ट करें।

(2) सरकारी आकडों के अनुसार पंजाब में आतंकवाद कब प्रारम्भ हुआ और कब समाप्त हुआ।

(3) पंजाब में आतंकवाद के दौरान सिख आतंकियों द्वारा कितने हिन्दू मारे गये जानकारी देने का कष्ट करे।

(4) पंजाब में आतंकवा के दौरान सिख आतंकियो द्वारा कितने हिन्दू घायल हुये जानकारी देने का कष्ट करे।

(5) सिख आतंक के दौरान पंजाब से कितने हिन्दू / हिन्दू परिवारों ने पालायन किया।

(6) सिख आतंकवाद से पीडित हिन्दुओं को अबतक केन्द्र सरकारों द्वारा एंव पंजाब सरकारो द्वारा क्या रहत, आर्थिक / सहायता पहुचाईगई

(7) आतंक से पीडित हिन्दुओं को राहत / आर्थिक सहायतापर कुल केन्द्रसरकारो एंव पंजाब सरकारो ने कितनी - कितनी राशि व्यय की

(क्र० प० 30)

PAGE NO.
DATE: / /20

(6) 1984 के दंगों में कितने सिख मारे गये जानकारी देने का कष्ट करे।

उक्त सूचना के शुल्क के रूप में रु० 10/- का द्वारा इंडियन पी० ओ० सं० 17 F 945038 जो डाकखाना साकेत गोपाल मंडी मेरठ से दिनांक 18.2.14 को जारी किया गया को संलग्न कर प्रेषित है

आवेदक
(sd.) 23.02.2014

मनोज गौतम
C/o सतीश गुप्ता
107/325 प्रेम विहार, आइसक्रीम वाली गली
माधव पुरम, दिल्ली रोड
मेरठ

फा0सं0 17014/35/2013-आई.एस.VII
भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली,
दिनांक 07 मार्च, 2014

सेवा में,

श्री गोपाल कंसारा,
पुत्र स्व0 श्री उदय लाल जी,
पोस्ट ऑफिस-देवगढ़ मदारिया,
जिला-राजसमन्द, राजस्थान-313331.

विषय: सूचना अधिकार अधिनियम-2005 की धारा 6 (1) के अंतर्गत आपका आवेदन दिनांक 04-02-2014 के संबंध में।

महोदय,

अवर सचिव (आर0टी0आई0), गृह मंत्रालय के ओ0एम0सं0 43020/01/2014-आर0टी0आई0 दिनांक 13.02.2014 द्वारा प्रेषित श्री गोपाल कंसारा का आर0टी0आई0 आवेदन दिनांक 04.02.2014 अधोहस्ताक्षरी के0लो0सू0अ0 को दिनांक 26.02.2014 को प्राप्त हुआ है।

2. इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के0लो0सू0अ0 को उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार गोल्डेन टेम्पल, अमृतसर को आतंकवादियों से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' की कार्रवाई थल सेना द्वारा की गई थी। चूँकि कथित ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' की कार्रवाई थल सेना द्वारा की गई थी, अतः आपके आवेदन के बिन्दु सं0 1 व 2 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना रक्षा मंत्रालय के कार्यकलापों से निकट रूप से संबंध रखती है। तदनुसार सू0अ0अ0, 2005 की धारा 6(3) के तहत आपके आवेदन के बिन्दु सं0 1 एवं 2 की जानकारी उपलब्ध कराने हेतु आपका आवेदन रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को स्थानान्तरित किया जा रहा है।

3. आपके आवेदन के बिन्दु सं0 3 से 12 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना के संबंध में यह अवगत कराया जाता है, चूँकि संदर्भित बिन्दुओं के अन्तर्गत सूचना मांगते हुए आपने 'ऑपरेशन' शब्द का प्रयोग किया है, अतः यह स्पष्ट नहीं है कि आप ऑपरेशन 'ब्लू स्टार' के संबंध में जानकारी चाहते हैं अथवा 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री की हत्या के पश्चात् दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में। अतः, कृपया अपने आवेदन के बिन्दु सं0 3 से 12 में मांगी गई सूचना के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने का कष्ट करें ताकि अधोहस्ताक्षरी के0लो0सू0अ0 द्वारा आपका आवेदन सक्षम सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी को अग्रेषित किया जा सके।

(राजेश कुमार गुप्ता)
निदेशक (आई.एस.III) तथा
केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी.

प्रतिलिपि:-

नोडल ऑफिसर, आर0टी0आई0 सेल, रक्षा मंत्रालय, क0सं0 118, सेना भवन, नई दिल्ली को आवेदन के बिन्दु सं0 1 एवं 2 पर जानकारी उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित। आवेदन की एक प्रति संलग्न है। आवेदक ने इस संबंध में 10/- रूपए का निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है। यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित कर दिया जाए।

फा. 11 | ...

26/02/2014 आर टी आई मामला/समयबद्ध

सं. ए-43020/01/2014-आर टी आई

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

****

नई दिल्ली, दिनांक : 13/2/ 2014

कार्यालय ज्ञापन

विषय : सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल कन्सारा का आवेदन।

****

अधोहस्ताक्षरी को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना मुहैया कराने के संबंध में श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल कन्सारा के दिनांक 4/2/2014 के आवेदन (इस मंत्रालय में ....से अंतरण द्वारा दिनांक 7/2/2014 को प्राप्त) को आई एस-III प्रभाग को अग्रेषित करने का निदेश हुआ है, क्योंकि मांगी गई सूचना उक्त प्रभाग के क्रियाकलापों से संबंधित है/निकट रूप से संबंध रखती है। यह अनुरोध किया जाता है कि यदि विषय-वस्तु का संबंध किसी अन्य केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से है, तो आवेदक को सूचित करते हुए आवेदन को सीधे उस प्राधिकारी को अग्रेषित/अंतरित कर दिया जाये।

2. आवेदक ने 10/- रु. का निर्धारित शुल्क दिनांक 11/2/2014 की रसीद सं. 288597 के तहत जमा कर दिया है (संलग्न)/ नहीं किया है क्योंकि वह बी पी एल श्रेणी से संबंध रखता/रखती है।

सु. सामंत

(एस. सामंत)

अवर सचिव, भारत सरकार

Recd on 26/2/2014

सेवा में

निदेशक (आई एस-III)
गृह मन्त्रालय, नार्थ ब्लाक
नई दिल्ली

in meeting
US(IS-I)
Fw US(IS-VII)

प्रति सूचनार्थ प्रेषित :

श्री/श्रीमती/सुश्री गोपाल कन्सारा
पो० आफिस - देवगढ़ (Deogarh)
मदारिया - 313331
जिला - राजसमन्द (राजस्थान)

26/2/14
26/2/2014
S.O (IS-VII)
Ravesh

(उनसे अनुरोध है कि इस मामले में अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने के लिए ऊपरवर्णित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी/लोक प्राधिकारी से संपर्क करें।)

...आवक 4.2.14

हुआ ... या ... या ... सरकार

8549/RTI/2014
11/2/14

Ministry of Home Affairs
नई दिल्ली / New Delhi
07 FEB 2014
के.र.सं. C.R. No.

एस.के.एस.एस.आसींद 9414573044

सूचना हेतु आवेदन पत्र

(सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत)

सेवामें,

श्रीमान् 1. C.P.I.O., महामहिम राष्ट्रपति भवन, नई-दिल्ली

2. C.P.I.O., गृह विभाग, भारत-सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई-दिल्ली

1. आवेदक का नाम - GOPAL KANSARA (R.T.I. ACTIVIST)

2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है -

GOPAL KANSARA
(R.T.I. ACTIVIST)
S/O LATE SH. UDAI LAL JI
P.O. DEOGARH MADARIYA-313331
DISTT- RAJSAMAND (Raj.)

3. फोन नम्बर - 09461346905

4. आवेदन देने की दिनांक - 4.2.14

5. कार्यालय का नाम - 1. महामहिम राष्ट्रपति भवन, 2. गृह विभाग, भारत सरकार, नई-दिल्ली

6. चाही गई जानकारी का विवरण - 1. 1984 में "स्वर्ण-मन्दिर", सिख विरोधी दंगों ... भारत-सरकार को प्राप्त सूचना जिसके आधार पर कार्यवाही की ... सुनिश्चित हुई, से सम्बन्धित सम्पूर्ण पत्रावली, महामहिम राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी से प्राप्त अनुमति, केबिनेट से प्राप्त स्वीकृति "स्वर्ण-मन्दिर में ऑपरेशन 1984" गु... का ब्यौरा दीजिये। (2) स्वीकृति कानून आवश्यक है/नहीं करने से पहले राष्ट्रपति से

P.T.O.

7. क्या चाहते है, नकल/निरीक्षण/रिकार्ड का निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रतिलिपि नमूना -

8. आवेदन के साथ अदा की जाने वाली प्रोसेस फीस रूपये 10/- नकद/पोस्टल ऑर्डर/डी.डी. (बी.पी.एल. के लिए लागू नहीं) I.P.O. 95E 425585

क्रमांक व दिनांक -

9. क्या आवेदक गरीबी रेखा के नीचे है अथवा नहीं हाँ / नहीं

यदि हाँ तो बी.पी.एल. सूची का अनुक्रमांक

Gopal
4.2.14